संख्या-5/2022/ए052-20222023-001-ई-1576789/52-4-2022-1(बजट)/2018

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल,2022**

विषय- वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-62/अ0सं0क0नि0/शादी अनु0/1457/2022-23, दिनांक 06.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत निर्धारित रू० 5000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के "अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 5000.00 लाख के सापेक्ष 4/12वां भाग **रू० 1666.00 लाख (रू० सोलह करोड़ छियासठ लाख मात्र)** की धनराशि लेखानुदान अवधि के प्रथम 04 माह हेतु **प्रथम किश्त** के रूप में स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/पी.एल.ए. में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि केवल योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी करने हेतु ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

किसी भी दशा में उक्त धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय/पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1941/52-3-16-सा(35)/2016, दिनांक 29.06.2016, संख्या-2021/52-3-16-सा(35)/2016, दिनांक 29.07.2016 एवं संख्या-08/52-4-18-सा(35)/2016, दिनांक 25.01.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अन्य नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चत करते हुए उक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण (उपयोगिता प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(6) धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

(7) उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनान्तर्गत पात्र निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए नहीं किया जायेगा ।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आंवटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195-दस-1694ए0 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जायेगा ।

(9) व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैन्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दी गयी संगत शर्तो/प्राविधानों तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) एतदर्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनावंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-5/2022/ए052-20222023-001-ई-1576789/ (1)/52-4-2022तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
9- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in